


**Recommendation # 95:**

**Issue Consent to Operate licences that are valid for a minimum period of 5 years or more**




**बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्**  
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना - 800 023  
दूरभाष नं०- 0612-2281250/2282265, फ़ैक्स- 0612-2281050  
ई-मेल-bspceb@vsnl.net, वेबसाईट- <http://bspceb.bih.nic.in>

पत्रांक : 7-5557 दिनांक : 14.6.16

: जिनसे संबंधित हो :

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 179 (ई०), दिनांक 30.03.2016 एवं पर्षद् के अधिसूचना संख्या 07, दिनांक 8.04.2016 द्वारा जल एवं वायु अधिनियम के तहत उद्योगों के संचालनार्थ सहमति शुल्क 5 वर्षों के लिये निर्धारित की गई है के क्रम में कहना है कि निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त आवेदनों के आलोक में उद्योगों के संचालनार्थ 5 वर्षों के लिये सहमति दिया जायेगा ।

उद्योगों के स्थापनार्थ सहमति मात्र एक बार ही दिया जाना है जिसकी वैद्यता अवधि अधिकतम पांच वर्ष होगी, लेकिन इसकी वैद्यता निर्माण कार्य पूरा होने तक ही सीमित रहेगा ।

  
(एस०चन्द्रशेखर)  
सदस्य-सचिव

14/6/16